

तारीख: 25.11.2019

कार्यालय जापन

विषय: वर्ष 2019-20 के लिए मंत्रालयों की संक्षिप्त गतिविधियों का विवरण - बजट सत्र, 2020 के दौरान संसद सदस्यों को परिचालन।

सभी मंत्रालयों से अनुरोध है कि वर्ष 2019-20 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट राजभाषा अधिनियम, 1963 की शर्तों के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी दोनों रूपांतरों में तैयार कर लें। अनुदान मांगों को संबंधित विभागीय स्थायी समितियों को उनके विचारार्थ भेजने के साथ ही इन्हें संसद सदस्यों को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

2. वार्षिक रिपोर्ट में 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार वास्तविक आंकड़े दिए जाने चाहिए और जनवरी-मार्च, 2020 की अवधि के लिए योजना अथवा अनुमान उपलब्ध कराए जाने चाहिए। किसी भी स्थिति में, नीचे पैरा 3 में दर्शाए अनुसार लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, पत्र सूचना कार्यालय आदि को वार्षिक रिपोर्ट की आपूर्ति में इस कारण विलंब नहीं होना चाहिए कि इन रिपोर्टों में 31 मार्च, 2020 तक के वास्तविक आंकड़े दिए जाने हैं।

3. संसद के दोनों सचिवालयों, पत्र सूचना कार्यालय इत्यादि के लिए वार्षिक रिपोर्ट और परिणामी बजट की अपेक्षित प्रतियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है:-

	अंग्रेजी रूपांतर	हिंदी रूपांतर	द्विभाषी अथवा हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर दोनों एक जिल्द में
क) लोक सभा सचिवालय	70	70	अथवा 70
ख) राज्य सभा सचिवालय	150	50	200
ग) पत्र सूचना कार्यालय	50	50	50
घ) संसदीय कार्य मंत्रालय	5	5	5
ड) राज्य सरकारें (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों सहित)	2	2	2
च) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	2	2	2
छ) उप निदेशक, अर्जन अनुभाग, संसद ग्रंथालय।	5	5	5

4. उपरोक्त के अतिरिक्त, वार्षिक रिपोर्टों की कुछ प्रतियां विभागीय संसदीय स्थायी समितियों को भी उपलब्ध कराई जानी हैं। स्थायी समितियों के लिए अपेक्षित इन प्रकाशनों की प्रतियों की वास्तविक संख्या की जानकारी कृपया लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों की संबंधित समिति शाखाओं से प्राप्त की जाएं तथा अपेक्षित संख्या में प्रतियां उन्हें सीधे उपलब्ध कराई जाएं। इस संबंध में, सभी मंत्रालयों/विभागों को संबोधित लोक सभा सचिवालय के का.जा. सं.10/1(1)/2019/L-I दिनांक 5 नवंबर, 2019 का संदर्भ लें।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(सुमन एस. बारा)
निदेशक
दूरभाष: 23034844

सभी मंत्रालय/विभाग,
भारत सरकार,
(संसद अनुभाग),
नई दिल्ली।

प्रतिलिपि प्रेषित: अवर सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय।